29/04/2026

—प्रकरण प्रस्तुत।

—प्रकरण का अवलोकन किया।

—आवेदक कैप्टन धनंजय मिश्रा कॉर्पोरेट मामलों और प्रशासन के प्रुख भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा बालको स्थित अम्बेडकर स्टेडियम परिसर ख.नं. 56 एवं 54 में 01 नग पीपल, 01 नग महुआ एवं 01 बरगद वृक्ष स्थित है। उक्त वृक्ष नवीनीकरण कार्यों में बाधा डाल रहे है और साथ ही स्टेडियम परिसर के भीतर मौजूद और प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के साथ—साथ सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी संभावित खतरा पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण उक्त 03 नग वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु पत्र प्राप्त हुई है।

—कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कोरबा, वनमण्डल—कोरबा, जिला—कोरबा (छ.ग.) के पत्र क्रमांक /राजस्व/1218 कोरबा, दिनांक 26/ 02/ 2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि मौका स्थल पर बालको स्थित अम्बेडकर स्टेडियत में खसरा नम्बर 54 एवं 56 में 04 नग स्थित है। जिसकी छामी गोलाई क्रमशः बरगद 70 से.मी.,महुआ 400 से.मी. एवं हल्दु 350 से.मी. जीवित अवस्था में खड़ा हुआ एवं 01 नग हल्दु का वृक्ष जिसकी छाती गोलाई 630 से.मी. सूखा एवं खड़ा राजस्व भूमि में स्थित है। उक्त स्टेडियम में स्कूली बच्चों का खेल एवं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय—समय पर किये जाते है। उक्त कुल 04 नग वृक्ष की काटने हेतु प्ररूप—घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप—धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

—छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित है:—

(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,

(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,

(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,

(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा

(ड.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल,गोठान, खलिहान, बाजार अथवा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा
(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर– नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।
– आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियॉ लागू नहीं होना पाया गया।
वृक्ष कटाई के नियम 2022 की कंडिका 3 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा0) निम्नांकित वृक्ष परिस्थितियों में वृक्ष कटाई की अनुशंसा कर सकेगा –
(एक) ऐसे वृक्षों अथवा उनके भाग से जीवन एवं संपत्ति की कोई क्षति अथवा नुकसान होने की संभावना, या उससे पीने के पानी के दूषित होने की संभावना हो।
(दो) वृक्ष सूख गए हो, अथवा सूख रहें हो।
(तीन) ऐसे वृक्ष को हटाने से किसी जनोपयोगी स्थल की सुंदरता अथवा सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना हो।
(चार) ऐसे फलदार वृक्ष जो न फलने वाला हो, सूख गया हो।
(पांच) फल प्रजाति से अलग प्रजाति के ऐसे पेड़ विदोहन योग्य गोलाई के हो। (ऐसी विदोहन योग्य गोलाई संबंधित वनमण्डल द्वारा निर्धारित की गई गोलाई मानी जाएगी।)
(छः) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो।
– उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2 (सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है।
– छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।
– छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 के अधिन वृक्ष कटाई नियम 2022 के 3 (तीन) ऐसे वृक्ष को हटाने से किसी जनोपयोगी स्थल की सुंदरता अथवा सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना हो।
(छः) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो।
नियम की कंडिका 2(सात) में ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया है, पर वृक्ष की कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।
–अतः लोक हित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम– कोरबा आवेदक श्री कैप्टन धनंजय मिश्रा, बालको में स्थित भूमि ख.नं 54 एवं 56 में स्थित कुल 04 नग वृक्ष स्थित है, जिसमें से महुआ–01 नग, बरगद–01 नग, हल्दु–02 नग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

वृक्ष को काटने की अनुमति दी जाती है।

– आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।

–संबंधितों को अनुमति आदेश की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण पंजीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कोरबा, जिला, छ0ग0

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

प्ररूप–ङ
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,

धनंजय मिश्रा,
निवासी– पाढ़ीमार, प.ह.नं.– 13
तहसील व जिला.–कोरबा,

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे कुल –04 नग वृक्ष को काटने की अनुमति बाबत्।

आवेदक कैप्टन धनंजय मिश्रा कॉर्पोरेट मामलों और प्रशासन के प्रुख भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा बालको स्थित अम्बेडकर स्टेडियम परिसर ख.नं. 56 एवं 54 में 01 नग पीपल, 01 नग महुआ एवं 01 बरगद वृक्ष स्थित है। उक्त वृक्ष नवीनीकरण कार्यों में बाधा डाल रहे है और साथ ही स्टेडियम परिसर के भीतर मौजूद और प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के साथ–साथ सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी संभावित खतरा पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण उक्त 03 नग वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु पत्र प्राप्त हुई है।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कोरबा, वनमण्डल–कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.) के पत्र क्रमांक /राजस्व/1218 कोरबा, दिनांक 26/ 02/ 2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि मौका स्थल पर बालको स्थित अम्बेडकर स्टेडियत में खसरा नम्बर 54 एवं 56 में 04 नग स्थित है। जिसकी छामी गोलाई क्रमशः बरगद 70 से.मी.,महुआ 400 से.मी. एवं हल्दु 350 से.मी. जीवित अवस्था में खड़ा हुआ एवं 01 नग हल्दु का वृक्ष जिसकी छाती गोलाई 630 से.मी. सूखा एवं खड़ा राजस्व भूमि में स्थित है। उक्त स्टेडियम में स्कूली बच्चों का खेल एवं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय–समय पर किये जाते है। उक्त कुल 04 नग वृक्ष की काटने हेतु प्ररूप–घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है। वृक्ष कटाई के नियम 2022 की कंडिका 3 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा0) निम्नांकित वृक्ष परिस्थितियों में वृक्ष कटाई की अनुज्ञा कर सकेगा –

(एक) ऐसे वृक्षों अथवा उनके भाग से जीवन एवं संपत्ति की कोई क्षति अथवा नुकसान होने की संभावना, या उससे पीने के पानी के दूषित होने की संभावना हो।

(दो) वृक्ष सूख गए हो, अथवा सूख रहें हो।

(तीन) ऐसे वृक्ष को हटाने से किसी जनोपयोगी स्थल की सुंदरता अथवा सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना हो।

(चार) ऐसे फलदार वृक्ष जो न फलने वाला हो, सूख गया हो।

(पांच) फल प्रजाति से अलग प्रजाति के ऐसे पेड़ विदोहन योग्य गोलाई के हो। (ऐसी विदोहन योग्य गोलाई संबंधित वनमण्डल द्वारा निर्धारित की गई गोलाई मानी जाएगी।)

(छः) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

....2...

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 के अधिन वृक्ष कटाई नियम 2022 के 3 (तीन) ऐसे वृक्ष को हटाने से किसी जनोपयोगी स्थल की सुंदरता अथवा सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना हो।

(छः) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो।

अतः लोक हित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम– कोरबा आवेदक श्री कैप्टन धनंजय मिश्रा, बालको में स्थित भूमि ख.नं 54 एवं 56 में स्थित कुल 04 नग वृक्ष स्थित है, जिसमें से महुआ–01 नग, बरगद–01 नग, हल्दु–02 नग वृक्ष को काटने की अनुमति दी जाती है।

आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल 01 नग महुआ, 01 नग बरगद एवं 02 हल्दु वृक्ष, कुल– 04 नग वृक्षों को विदोहन की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग कोरबा
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

पृ.क्र....1352........./अ.वि.अ./वाचक/2026 कोरबा, दिनांक 29/04/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला–कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वन परिक्षेत्र कोरबा, वनमण्डल–कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार –कोरबा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग–कोरबा
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)